राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 619/2024

डॉ. अंकिता कासलीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी, जयपुर (RAJMES), गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा बिल्डिंग, जयपुर।
3. डॉ. लक्ष्मी सलोदिया, सहायक प्रोफेसर (Gynecology), चिकित्सा कॉलेज, चित्तौडगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 01.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य (स्त्री रोग) के पद पर मेडिकल कॉलेज, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज, करौली किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में 17 सप्ताह की प्रेगनेन्ट है, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 माह की अल्पावधि में ही वर्तमान स्थान से 130 कि.मी. दूर किया गया है, जो माननीय उच्च

न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 211/2023 प्रवीण सालरावत बनाम जेविविएनएल में ऐसे स्थानान्तरण आदेश को अनुचित माना है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक आचार्य (स्त्री रोग) के पद पर मेडिकल कॉलेज, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज, करौली किया गया है। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी वर्तमान में 17 सप्ताह की गर्भधारण महिला है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान से 130 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार मामले की ऐसी वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)